

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
तृतीय तल, ब्लाक-बी-4 इन्द्रावती भवन, नया रायपुर छत्तीसगढ़

क्रमांक 5133 / त.शा. / एफ-सरकुलर-3 / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 2015 रायपुर, दिनांक 19/6/2015
प्रति,

मुख्य अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
परिक्षेत्र रायपुर / बिलासपुर / जगदलपुर

षय :- विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत आवंटित राशि में से 10 प्रतिशत तक राशि का उपयोग “विधायक आदर्श ग्राम योजना” में किये जाने बाबत।

संदर्भ :- छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र क्रमांक- एफ 1-25/2015/34-2/1875 रायपुर दिनांक 07.05.2015

—00—

विषयांतर्गत शासन से प्राप्त संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न है, कृपया अवलोकन करें। शासन के पत्र के साथ संलग्न संयुक्त सचिव, छ0ग0 शासन, योजना, आर्थिक एवं सांचिकी विभाग का पत्र क्रमांक- एफ 08-21/2009/23, दिनांक 24.04.2015 में उल्लेख किया गया है कि राज्य शासन द्वारा प्रदेश में “विधायक आदर्श ग्राम योजना” के क्रियान्वयन हेतु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को नोडल बनाया गया है। इस योजना में माननीय विधायकगणों द्वारा प्रदेश के 90 ग्राम पंचायतों को आदर्श ग्राम के रूप में चयन किया गया है।

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका में कंडिका 1.4 अनुसार “1.4 प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आवंटित राशि में से 10 प्रतिशत तक की राशि का उपयोग विधायक आदर्श ग्राम योजनांतर्गत किया जा सकता है। इसके लिए ग्राम पंचायत को विधानसभा क्षेत्र के होने का बंधन नहीं रहेगा”

अतः शासन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार उक्त कंडिका बिंदु क्रमांक- 1.4 पर कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें एवं तत्संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने अपने अधीनस्थों को आवश्यक निर्देश जारी कर की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को तत्काल अवगत करावें।

सहपत्र : उपरोक्तानुसार।


५१३४
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
रायपुर छत्तीसगढ़ *१९/६*
रायपुर, दिनांक 19/6/2015

पृ० क्रमांक 5134 / त.शा. / एफ-सरकुलर-3 / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 2015
प्रतिलिपि:-

1. अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंडल रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/अंबिकापुर/जगदलपुर एवं (वि०/यां०) मंडल रायपुर,
2. कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खंड/परियोजना खंड/मेकेनिकल खंड की ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. कार्यालयीन आदेश नस्ती।

सहपत्र : उपरोक्तानुसार।

५१३५
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर *१९/६*
५१३५



चत्तीसगढ़ शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 1-25 / 2015 / 34-2 / 1875
प्रति,

रायपुर, दिनांक 25/5/15

✓ प्रमुख अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
चत्तीसगढ़ रायपुर।

विषय :- विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत आबंटित राशि में से 10 प्रतिशत तक राशि का उपयोग “विधायक आदर्श ग्राम योजना” में किये जाने बाबत।

संदर्भ :- संयुक्त सचिव, छ.ग.शासन योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग का पत्र क्र. एफ 08-21 / 2009 / 23, दिनांक 24.04.2015

-00-

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करे, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा उल्लेख किया गया है कि राज्य शासन द्वारा प्रदेश में “विधायक आदर्श ग्राम योजना” के क्रियान्वयन हेतु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। इस योजना में मान. विधायक गणों द्वारा प्रदेश की 90 ग्राम पंचायतों को आदर्श ग्राम के रूप में चयन किया गया है।

2/ चयनित आदर्श ग्राम में कार्यों हेतु विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना की राशि में से 10 प्रतिशत तक की राशि का उपयोग किया जा सकता है। इसके लिये ग्राम पंचायत को विधानसभा क्षेत्र में होने का बंधन नहीं रहेगा।

3/ इसी परिप्रेक्ष्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका में कंडिका 1.3 (क) के पश्चात् निम्नानुसार कंडिका 1.4 स्थापित किया जाता है :—

“1.4 प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिये प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आबंटित राशि में से 10 प्रतिशत तक की राशि का उपयोग विधायक आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत किया जा सकता है। इसके लिये ग्राम पंचायत को विधानसभा क्षेत्र में होने का बंधन नहीं रहेगा।”

अतः उक्त कंडिका पर आवश्यक कार्यवाही कर, कृत कार्यवाही से शासन को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करे।

सहपत्र:- उपरोक्तानुसार।

TS/AS/GS/ES/MIS/TSC/CCDU/Audit.

(डॉ. एम.एल. अग्रवाल)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

चत्तीसगढ़ शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
योजना, आर्थिक उवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर-492002.

क्रमांक एफ 08-21/2009/23
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक 24-04-2015.

समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

अन्तर्गत 953 / फ. नं. / लो. स्वा. वा.
दिनांक 29/4/15

विषय:- विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत आर्बटित राशि में से 10 प्रतिशत तक राशि का उपयोग "विधायक आदर्श ग्राम योजना" में किये जाने बाबत।

—00—

राज्य शासन द्वारा प्रदेश में "विधायक आदर्श ग्राम योजना" के क्रियान्वयन हेतु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। इस योजना में मानविधायकगणों द्वारा प्रदेश की 90 ग्राम पंचायतों को आदर्श ग्राम के रूप में चयन किया गया है।

2/ चयनित आदर्श ग्राम में कार्यो हेतु विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना की राशि में से 10 प्रतिशत तक की राशि का उपयोग किया जा सकता है। इसके लिये ग्राम पंचायत को विधानसभा क्षेत्र में होने का बंधन नहीं रहेगा।

3/ इसी परिप्रेक्ष्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका में कंडिका 1.3 (क) के पश्चात् निम्नानुसार कंडिका 1.4 स्थापित किया जाता है :-

"1.4 प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिये प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आर्बटित राशि में से 10 प्रतिशत तक की राशि का उपयोग विधायक आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत किया जा सकता है। इसके लिये ग्राम पंचायत को विधानसभा क्षेत्र में होने का बंधन नहीं रहेगा।"

अ.मु.स.-आजा.वि.एवं लो.रथा.या.विभाग
क्रमांक- 5/
दिनांक- 25 APR 2015
अ.मु.स.-आजा.वि.एवं लो.रथा.या.विभाग

25 APR 2015

O S O C P H/2

AP
EH (कार्यपाल)
d
29/4/15

Sh. Sahai

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(आलोक अवस्थी) 24.04.15
संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

पृष्ठा क्रमांक एफ 08-21 / 2009 / 23
प्रतिलिपि:-

नया रायपुर, दिनांक 24-04-2015.

1. मान.मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव, छ.ग.शासन, मंत्रालय, नया रायपुर,
2. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छ.ग.शासन, मंत्रालय, नया रायपुर,
3. समरत अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, छ.ग.शासन, मंत्रालय, नया रायपुर,
4. सचिव, छ.ग.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
5. सचिव, छ.ग.शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग, कृषि विभाग, वन विभाग, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, ऊर्जा विभाग, जल संसाधन विभाग, आवास एवं पर्यावरण विभाग, राजस्व विभाग, ग्रामोद्योग विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
6. आयुक्त सह संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर,
7. राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी., मंत्रालय, नया रायपुर,
8. समस्त विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़, रायपुर,
9. समस्त संभागायुक्त—रायपुर/बिलासपुर/बस्तर/सरगुजा/दुर्ग (छ.ग.),
10. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छत्तीसगढ़,
11. समस्त जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी, जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय, छत्तीसगढ़,
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. गार्ड फाईल।

संयुक्त सचिव 24.04.15
छत्तीसगढ़ शासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग